पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31–07–2022

दिनांक 30/31–07–2022 को रात्रि थाना चिनहट 03, गोमतीनगर 02, सआदतगंज 01, विकासनगर 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पूर्वी

थाना चिनहट–दिनांक 30.07.2022 को उ0नि0 श्री सुदर्शन सिंह थाना चिनहट द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01–नितेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार निवासी–भिटहरी गोयला थाना चिनहट लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष को कविता भट्टा मोड़ तकिया गांव के रास्ते पर थाना चिनहट लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना चिनहट पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

गुण्डा एक्ट की कार्यवाही–

थाना मोहनलालगंज–दिनांक 30.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक कुलदीप दूबे थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01–गोपाल उर्फ गोपाली पुत्र किशोरी निवासी–ग्राम सेवाखेड़ा मजरा गौरा थाना मोहनलालगंज उम्र 43 वर्ष के विरूद्ध थाना मोहनलालगंज पर यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

भा0द0वि0

विकासनगरः–दिनांक 31–07–2022 को थाना विकासनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री फखरुद्दीन अली अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल कादिर खान निवासी ई–एस–28/333 सेक्टर–ए0 सीतापुर रोड़ योजना थाना जानकीपुरम् लखनऊ ने थाना विकासनगर पर सूचना दिया कि दिनांक 30–07–2022 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि वादी का मित्र युसुफ अली खान टेढ़ी पुलिया फ्लाई ओवर चौराहे से इंजीनियरिंग कालेज चौराहे से अपने घर जा रहा था, कि तभी टेढ़ी पुलिया फ्लाई ओवर पर पीछे से आ रही स्वीफ्ट डिजायर कार नं0 यूपी 32 एलएक्स–4842 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा कार को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी के मित्र युसुफ की स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे वादी का मित्र गम्भीर रुप से घायल हो गया, जिनको इलाज हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से डाक्टरो द्वारा उन्हे ट्रांमा रेफर कर दिया गया, जहां से उनके परिजनों द्वारा उन्हे इलाज हेतु आई0का0न0 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस सूचना पर थाना विकासनगर पर मु0अ0सं0 167/2022 धारा 279/337/338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

मोहनलालगंजः–दिनांक 31–07–2022 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री रमेश चन्द्र पुत्र स्व मूलचन्द्र निवासी लखनऊ खण्ड–2 शारदा नहर हजरतगंज लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि वादी वर्तमान में जूनियर इंजीनियर के पद पर लखनऊ खण्ड–2 शारदा नहर में तैनात है, वर्तमान में उक्त खण्ड के नियंत्रणाधीन गौरी अनुभाग में पदास्थापित है। दिनांक 30–07–2022 को अमौसर रजबहा पर वादी के नियंत्रणाधीन कर्मचारी मनोज कुमार पुत्र श्री पंचम निवासी ग्राम लोनहा थाना सरोजनीनगर लखनऊ एवं श्री रामप्रकाश (चपरासी) पुत्र स्व0 शिवधार निवासी ग्राम निधानखेड़ा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव किसानो को 1430 खरीफ फसली हेतु पानी पहुंचाने के लिए नहर पर गस्त कर रहे थे, कि रजबहे में ग्राम अहमदखेड़ा पर अशोक कुमार पुत्र रामचरन व छतरु पुत्र छोटा निवासी ग्राम अहमदखेड़ा व अन्य के द्वारा नहर में बंधा लगाकर पूर्ण प्रवाह बंद कर दिये थे, जब बंधा हटाने को कहा गया, तो उक्त लोग गाली गलौज करने लगे, जिसकी सूचना वादी को मोबाइल पर दी गयी, इस सूचना पर वादी मौके पर पहुंचा तो उक्त लोगो द्वारा वादी के ऊपर डण्डे एवं फांवडे से हमला कर दिया गया, जिससे वादी अपने सहयोगियों के साथ जान बचाकर सिसेण्डी स्थित नियंत्रण गृह पहुंचा, और अपने अधिकारियों को सूचना दी। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 381/2022 धारा 332/353/431/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री राकेश कुमार यादव द्वारा की जा रही है।